

Draf

24-9-2021

8/10/21

राजस्थान - सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	नम्बर रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात			नं० रजि० मुहा०
				क	ख	योग	
प्लॉट 22	12/2021	15/9/2021	26/10/21				

ब

मनीराम पुत्र पैमाराम

ना

प्लॉट सा. 2 वर सण्डी वगैरे

म

(श्री

वकील)

(श्री

वकील)

फहरिस्त कागजात

नवम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद



फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम मनीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी वगै० किस्म मुकदमा धारा 22 उप० अधि० 1954 मु०नं०...12...सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
15/9/2021	<p>पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम खरसण्डी के अप्रार्थीगण संख्या 1 मनीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि के खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० ग्वार 2 हरीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि के खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० ग्वार 3 रूपराम पुत्र चेतनराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि खसरा नं. 1.631 है० में से 0.253 है० बाजरी संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24/9/2021 को पेश हो।</p>	<p>15/9/2021</p>
24/9/21	<p>पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी को नोटा नोटिस काट लाया जाये जो लाया जाये पत्रावली लिख जाये 24/9/21 को रिपोर्ट मजदूर। रिपोर्ट में इतिहास में पत्रावली दिनांक 24/9/21 को पेश हो।</p>	
21/10/21	<p>पत्रावली पेशी में ली गई। 24/9/21 को रिपोर्ट मजदूर जो लाया जाये पत्रावली में गई। 24/9/21 को रिपोर्ट मजदूर जो लाया जाये रिपोर्ट मजदूर पत्रावली में गई।</p>	

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 12

सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

मनीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी वगै०

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 26.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं० 1 मनीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि के खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० ग्वार 2 हरीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि के खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० ग्वार 3 रूपराम पुत्र चेतनराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि खसरा नं. 1.631 है० में से 0.253 है० बाजरी की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू०अ०नि० जबरासर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 60/- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरासर द्वारा कुर्क शुदा फसल को दिनांक 21.10.2021 को कुर्क शुदा फसल को निलाम किया गया उच्चतम बोली श्री जयकरण पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 710 रूपए लगाई जो स्वीकृत की जाती हैं एवं अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31


तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

26.10.2021

पत्रावली पेशी में ली गई। भू.अभि.निरीक्षक से फर्द निलामी रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 को प्राप्त जो सामिल पत्रावली की गई। उच्चतम बोली जयकरण पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 710 रूपए की लगाई जो बाद अनुमोदन दिनांक 25.10.2021 को स्वीकृत कर सामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वयं से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं० 1 मनीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि के खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० ग्वार 2 हरीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि के खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० ग्वार 3 रूपराम पुत्र चेतनराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि खसरा नं. 1.631 है० में से 0.253 है० बाजरी फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भूराजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग 60 रू० से दण्डित किया जाता है। भू.अभि.निरीक्षक को अलग से आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट सात योम में भिजवाये।

पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


तहसीलदार(राजस्व)
नोहर

D.M.
1168
26/10/21

प्रारूप-क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 12/संवत् 2078 सरकार बनाम रूपराम पुत्र चैतनराम जाति जाट श्री. खरसोनी

तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम खरसोनी के ख.न. 191 में उ. जाड़े पर 0.1268 जाट की फसल काट की है

संवत् 2078 खरीफ फसल काशत कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक 24/9 से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावे।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि संवत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नहीं अधोरोपित की जावे।

यह ओर नोटिस दिया जावे कि आपने गत कृशि वर्ष में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नहीं आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक 15/9/21 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई।

31
(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)
तहसीलदार (राजस्व)
0/0 नोहर

21/11/21

8/10/21

19/2021

फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक : 8/10/2021..... को श्रीमान तहसीलदार साहब

जोहर..... के आदेशानुसार अतिकर्मी श्री मनीराम..... पुत्र श्री जेमाराम.....

जाति जाट..... निवासी खरसठी की चल / अवल संपत्ति मनीराम पुत्र जेमाराम

जाति जाट सा. खरसठी गै. ड. जोहर केस न- 191 पर 0.126 है

ग्वार, हरीराम पुत्र जेमाराम जाति जाट सा. खरसठी ग्राज

गै. ड. जोहर केस न- 191 पर 0.126 ग्वार, रूपराम पुत्र चेतनराम

जाति जाट सा. खरसठी गै. ड. जो. खरस. 191 है पर 0.253 है

गाजरी की फसल को।

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपत्ति खुर्द बुर्द न करे

अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कुर्क संपत्ति श्री..... पुत्र श्री..... जाति.....

निवासी..... की सुपुर्दगी मे देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपत्ति खुर्द बुर्द हो तो

रिपोर्ट करे।

तहरीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गए।

3mm /
8/10/2021

मानिक
जवाहर
8-10-2021

मि.नं - 12/21

फर्द निलामी

आज दिनांक 21/10/21 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश क्रमांक राजस्व/21/980 दिनांक 8/10/2021 की पालना में ग्राम खरखंडी के खसरा नं. 191 की जे. डु. जोड़ भूमि में फसल खरखंडी जायज कास्त निम्नांकित व्यक्तियों ① मनीराम पुत्र प्रेमराम

जाति जाट सा. खरखंडी ② हरीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट सा. खरखंडी ③ कपूरराम पुत्र चेतनराम जाति जाट सा. खरखंडी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सूचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है।

निम्नांकित व्यक्तियों नें उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क्र. स.	बोलीदाता	बोली की राशी	
		I	II
1.	श्री. सुभाष पुत्र श्री. रामचन्द्र जाति. दुधार साकिन खरखंडी	400	590
2.	श्री. महावीर पुत्र श्री. मलाराम जाति. जाट साकिन खरखंडी	460	600
3.	श्री. बेगाराज पुत्र श्री. राजेशराम जाति. जाट साकिन खरखंडी	500	680
4.	श्री. प्रयकरा पुत्र श्री. हजारीराम जाति. जाट साकिन खरखंडी	540	710

उपरोक्त में श्री प्रयकरा पुत्र श्री. हजारीराम जाति जाट साकिन खरखंडी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

30m/
21/10/2021
राजस्व पटवारी
पं.म. ललानिया

सुभाष
महावीर
बेगाराज
प्रयकरा

21/10/21
मु. क. वि. नोहर
21-10-2021

हरीराम
37
25/10/21

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ


क्रमांक/राजस्व/2021/1168

दिनांक: 26.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 12/2021 में निर्णय दिनांक 26.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं० 1 मनीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि के खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० ग्वार 2 हरीराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि के खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० ग्वार 3 रूपराम पुत्र चेतनराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० जोहड की भूमि खसरा नं. 1.631 है० में से 0.253 है० बाजरी नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू०अ०नि० जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 60 रुपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।



तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमांक/राजस्व/2021/1168

दिनांक:- 26.10.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भूअभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात योम में प्रस्तुत करें।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।





तहसीलदार (राजस्व)
नोहर